

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प.6(3)साप्र/5/94

जयपुर, दिनांक: 23.04.2014

आदेश

निम्नलिखित विश्राम भवनों में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्य हेतु संबंधित सेवाओं को एजेन्सी/ठेकेदार के माध्यम से ठेके पर लोक उपापन में पादरिक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य कराने की नियमित नियुक्ति/पदोन्नति होने अथवा आगामी 30.09.2014 (जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिए स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 10.07.2013, 26.08.2013, 06.12.2013, 10.12.2013 एवं 07.04.2014 के क्रम में होगी :-

क्र. सं.	विश्राम भवन का नाम	कार्य का विवरण	कार्य हेतु संख्या
1	अजमेर	कुक कार्य हेतु	01
2	बाडमेर	कुक कार्य हेतु	02
3	भरतपुर	कुक कार्य हेतु	01
4	भीलवाडा	कुक कार्य हेतु	01
5	बीकानेर	कुक कार्य हेतु	01
6	बांसवाडा	कुक कार्य हेतु	02
7	बूंदी	कुक कार्य हेतु	01
8	बारा	कुक कार्य हेतु	02
9	चूरु	कुक कार्य हेतु	01
10	चित्तौडगढ	कुक कार्य हेतु	01
11	धौलपुर	कुक कार्य हेतु	02
12	दौसा	कुक कार्य हेतु	01
13	डूंगरपुर	कुक कार्य हेतु	01
14	हनुमानगढ	कुक कार्य हेतु	02
15	जयपुर	कुक कार्य हेतु	08
16	जालौर	कुक कार्य हेतु	01
17	जैसलमेर	कुक कार्य हेतु	02
18	झुन्झुनू	कुक कार्य हेतु	02
19	झालावाड	कुक कार्य हेतु	02
20	जोधपुर	कुक कार्य हेतु	03
21	कोटा	कुक कार्य हेतु	02
22	करौली	कुक कार्य हेतु	02
23	मारुण्ट आबू	कुक कार्य हेतु	02
24	नागौर	कुक कार्य हेतु	02
25	पाली	कुक कार्य हेतु	02
26	प्रतापगढ	कुक कार्य हेतु	02
27	राजसमन्द	कुक कार्य हेतु	01
28	श्रीगंगानगर	कुक कार्य हेतु	02
29	सवाईमाधोपुर	कुक कार्य हेतु	01
30	सीकर	कुक कार्य हेतु	01
31	सिरोही	कुक कार्य हेतु	02
32	टोंक	कुक कार्य हेतु	01
33	उदयपुर	कुक कार्य हेतु	01
34	राजस्थान हाउस	कुक कार्य हेतु	06
		कुल योग :-	64

उक्त स्वीकृति का व्यय बजट मद 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ - 115-अतिथि गृह सरकारी होस्टल (03) विश्राम भवन-41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) एवं मद 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-115-अतिथि गृह सरकारी होस्टल (02) एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली - 41 संविदाएँ (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से वहन किया जाएगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई.डी. सं. 161400447 दिनांक: 22.04.2014 पर प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित जिला कलक्टर/कोषाधिकारी, राजस्थान।
3. संबंधित प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान/राजस्थान हाउस, नई दिल्ली- कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त स्वीकृति रिक्त पदों से अधिक न हो। साथ ही उक्त सेवाएँ लिये जाने के उपरान्त इस विभाग को सूचित करावें।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, साप्र(ग्रुप-4)वि।
5. वित्त (व्यय-2) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव